

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा कोरबा, जिला न्यायालय परिसर कोरबा (छ0ग0)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01/2023

कोरबा दिनांक 08/12/2023

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा कोरबा छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर कोरबा में कैटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटो कापियर मशीन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/korba> अपलोड किया गया है। जारी तिथि से दिनांक 30.12.2023 को दोपहर 02 बजे तक आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदन कार्यालय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा कोरबा स्थान न्यायालय परिसर कोरबा से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट लेकर आवेदन किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	30.12.2023 समय दोहपर 02:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि (कैटिन, फोटोकापी एवं सायकल स्टैंड हेतु)	01.01.2024 समय शाम 5:00 बजे
स्थान	कार्यालय छ.ग. न्यायिक कर्मचारी संघ कक्ष क. 13 जिला न्यायालय परिसर कोरबा

दिनांक 08.12.2023

स्थान— कोरबा

सही

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा कोरबा (छ0ग0)

ANNEXURE-1
आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अनुमति हेतु आवेदन पत्र —
 - (1) कैंटीन संचालन — जिला न्यायालय परिसर
पुराना नोटरी कक्ष
 - (2) फोटोकॉपी मशीन संचालन — कक्ष क्र. 22
 - (3) सायकल स्टैंड संचालन — जिला न्यायालय परिसर
- जो लागू न हो उसे काटें।
2. आवेदक का नाम —.....
3. पूर्ण-पता —.....
4. पहचान पत्र —.....
(स्व प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)
5. निविदा हेतु बोली की राशि —.....
(मासिक लायसेंस फीस/किराया)
- कृपया बोली की राशि का 25 % अग्रिम राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से
“अध्यक्ष तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ कोरबा ” के नाम पर जमा करें।
अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को
निविदा खुलने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
6. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक व दिनांक —.....
7. जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम —.....

नोट:—आवेदन को आवेदक द्वारा उचित व पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदक के साथ वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही अग्रिम राशि हेतु कंडिका 6 व 7 में उल्लेखित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है, अपालन की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणा पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नियह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है, एवं मैं जिला न्यायालय कैंटीन, फोटोकॉपी, सायकल स्टैंड संचालन नियम के सभी शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है अथवा मेरे द्वारा उक्त नियम के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करना पाया जाता है या नियमानुसार नहीं करना पाया जाता है, तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अनुसंगन-1

- 1 आमंत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त या परिवर्तित किया जा सकेगा।
- 2 निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30.12.2023 के दोहपर 02:00 बजे तक है।
- 3 निविदा को नीचे दिये गये पते पर हमदस्त/रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

पता:- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा कोरबा (छ0ग0) पिन 495677

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

- 4 सभी निविदाएं जिला न्यायालय कोरबा के नोटिस बोर्ड में प्रकाशित अंतिम तिथि के दोपहर 2:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5 फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, कैंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टेण्ड के संचालन हेतु प्राप्त निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् निविदा विज्ञप्ति में दिये गये तिथि/दिनांक अनुसार संघ नियम के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।
- 6 सभी आवेदन खोलने के पश्चात् सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जायेगा व उसे फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, कैंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टेण्ड चलाने हेतु अधिकार अनुबंध के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। शेष आवेदकों के द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथा संभव 07 दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति उनसे ली जायेगी। निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक किया जायेगा।

नोट:- फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, कैंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टेण्ड संचालन के लिये पृथक-पृथक निविदा भरा जावे।

- 7 किसी विवाद की स्थिति में जिला न्यायाधीश के अनुमोदन पश्चात् समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 8 जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75 % सात कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से संघ अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा कोरबा के नाम पर जमा करना होगा, असफल रहने की दशा में

आवदेनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को राजसात कर लिया जायेगा। सफल बोलीकर्ता को बोली की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टेण्ड संचालन हेतु पृथक पृथक चलाने हेतु अधिकृत किया जायेगा। संघ के अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त राशि को संघ के खाता में जमा करना होगा।

- 9 फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष संचालन हेतु संचालक के द्वारा विद्युत बिल व अन्य मेन्टेनेंस हेतु देय राशि अदा करना होगा।
- 10 फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क/चार माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष निविदा राशि का 5% प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा
- 11 अगर फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं सायकल स्टेण्ड संचालन हेतु संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो गठित समिति द्वारा फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं सायकल स्टेण्ड हेतु संचालक को सूचना देते हुये उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।
- 12 फोटो कॉपियर मशीन दुकान क्रमांक 22, केंटीन हेतु जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवीन अधिवक्ता भवन के बगल में पुराना नोटरी कक्ष एवं सायकल स्टेण्ड संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर एवं केंटीन संचालन हेतु कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करेगा एवं स्वयं ही उसका भुगतान भी करेगा।
- 13 निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर अंदर रखे दस्तावेज का विवरण तथा अपना पूर्ण पता के साथ मोबाईल नंबर अभिलिखित किया जाना होगा।
- 14 निविदाएँ जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

15 निविदाकर्ताओं का फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

16 न्यूनतम बोली राशि प्रति माह की दर से –

- फोटो कॉपियर मशीन संचालन हेतु पीछे दुकान क्रमांक 22 का मासिक राशि 1500/-(एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।
- कैंटीन संचालन हेतु पुराना नोटरी कक्ष मासिक राशि 5000/-(पांच हजार रुपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।
- सायकल स्टेण्ड संचालन हेतु जिला न्यायालय परिसर में मासिक राशि 2000/-(दो हजार रुपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

सही-

सचिव

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा कोरबा (छ0ग0)

सही-

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा कोरबा (छ0ग0)